# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या 1127/2024**

डॉ0 सुभाष चन्द —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ0 करण सिंह मीना, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 01.03.2024
**आदेश की दिनांक** : 02.04.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर बीवीएचओ महुवा, दौसा (उपनिदेशक के पद विरूद्ध) कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्र.श्रे.प.चि., चाणोद, पाली में बिना प्रशासनिक कारण के एवं विवेक का प्रयोग किए बिना निजी प्रत्यर्थी संख्या—3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 दौसा जिले में ही कार्यरत है। आलौच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है क्योंकि स्थानान्तरण समान पद पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है लेकिन अपीलार्थी जो उपनिदेशक के पद विरूद्ध कार्यरत है उसको पाली में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा प्रत्यर्थी संख्या—3 जो दौसा में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है, को अपीलार्थी के स्थान पर उपनिदेशक के पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। दोनों को ही उनके पद पर पदस्थापित नहीं किया है। अपीलार्थी के पिता 87 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक है और अपीलार्थी अपने परिवार और पिता का एकमात्र देखभालकर्ता है। अपीलार्थी के पिता का आधार कार्ड अनुलग्नक—2 पर है। अपीलार्थी के बच्चे पढ़ रहे है और परीक्षा चल रही है और इस प्रकर अपीलार्थी को सत्र के बीच

में स्थानान्तरित कर दिया गया है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी ने पशुपालन एवं देवस्थान विभाग मंत्री महोदय को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरण निरस्त करने का निवेदन किया परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को पाली में स्थानान्तरित कर दिया गया, जो वर्तमान स्थान से लगभग 500 कि.मी. दूर है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी वर्ष 2009 से लगातार दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से लोकहित में शासन स्तर से जारी किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उपनिदेशक एक ही संवर्ग के पद है। पशु चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से उपनिदेशक क्रमशः पदोन्नति के पद है, जिन पद के विरूद्ध पदस्थापन किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का वर्णन किया है जो स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का आधार नही है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल प्रकरण में पारिवारिक कारण से स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप को उचित नही माना है। अपीलार्थी अपनी समस्याओं के संदर्भ में विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा अपने पुत्र की परीक्षा के संबंध में टाईम टेबल प्रस्तुत किया है जो कि 15 मार्च को परीक्षायें समाप्त होने का उल्लेख करती है। अपीलार्थी के पुत्र की परीक्षायें दिनांक 15.03.2024 को समाप्त हो चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी पशु चिकित्सक के पद पर है एवं वर्तमान में बीवीएचओ महुआ (दौसा) में उपनिदेशक के पद विरूद्ध पदस्थापित है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीवीएचओ महुवा, दौसा (उपनिदेशक के पद विरूद्ध) से प्र.श्रे.प.चि., चाणोद, पाली किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 24.10.2020 से तथा दौसा जिले में 2009 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को प्रशासनिक कारण से लोकहित में वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी को उसके पद से वरिष्ठ पद पर पदस्थापित किया है। वर्तमान में भी अपीलार्थी अपने से वरिष्ठ पद पर पदस्थापित

है। इसमें आरएसआर के नियम 20 का उल्लंघन नहीं है। निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने दौराने बहस निवेदन किया कि चाणौद (पाली) में पद रिक्त है। इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:—

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**